न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 259 / 2011

आरसीएमएस नं. 2011 / 327

हेतराम पुत्र श्री कानाराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

--अपीलांट

बनाम

1. मोमनराम पुत्र नानकराम ज़ाति रेगर साकिन मालिया तह0 नोहर –फौत

1/1 मानिया पत्नी
1/2 हंसराज पुत्र
1/3 शांति पुत्री
1/4 लिलो पुत्री
1/5 कमला पुत्री
} मोमनराम जाति रेगर साकिन मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2. शान्ति देवी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

-- रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधि... हनुमानगढ (stamp)

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 25.10.2011

द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्र0 सं0 277 / 2008 अनवान हेतराम बनाम भगवानाराम आदि

श्री विजय कौशिक अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 / 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 20.X.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद इस्तकरार हक इन कथनों के साथ पेश किया कि आराजी जरई ख. नं. 118 की 7.10 बीघा भूमि वाके रोही मोज मालिया तहसील नोहर वादी की सन् 1968 की पुख्ता अलॉटशुदा कब्जा काश्त की गैर खातेदारी भूमि हैं, जिसे वह काश्त करता चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि पैमाईश हाल में ख. नं. 272 की 4.05 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है। वादी उपरोक्त भूमि का अलौटी गैर खातेदार काश्तकार है, लेकिन उपरोक्त भूमि प्रतिवादी ने जरिये इंतकाल नं. 75 दिनांक 22.06.78 को तस्दीक करवाकर हाल जमाबंदी में अपने नाम दर्ज करवाली जिससे वादी के हकूक पर बेजा असर पड़ता है। इसलिए वादी को हक इश्तकरार कर नई जमाबंदी को दुरूस्त कर प्रतिवादी का नाम कलमजन कर गैर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। दिनांक 29.06.88 को दावा खारिज होने ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के यहां अपीलाण्ट द्वारा अपनी प्रसतुत की जो दिनांक 16.11.2000 को स्वीकार की अपीलाण्ट का दावा डिक्री किया गया। जिसमें रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी ने अपील पेश की माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दिनांक 09.06.2000 को निर्णित होकर आदेश हुआ कि सहायक कलक्टर नोहर मुख्यालय भादरा का निर्णय दिनांक 29.06.88 व राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 16.11.2000 निरसत किया गया और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि विवादित भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष साक्ष्य द्वारा प्रसतुत करने पर मौका देकर सभी तनकियात पर विस्तृत रूप से साक्ष्यों से विवेचन के साथ अपना निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तनकी नं. 1 का निर्णय बहक अपीलाट/वादी निर्णित होता है विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। विवादक संख्या 2 ता 7 का सिद्ध भार रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी पर था जिनके द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के बाद कोई साक्ष्य पपत्रावली पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिए तनकी सं0 2 ता 7 रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के हक में किसी सूरत में निर्णित नहीं हेा सकती थी। विचारण न्यायायल ने तनकीयात पर विस्तृत विवेचन कर कोई निर्णय पृथक से पारित नहीं किया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने तनकीवाईज विस्तृत विवेचन कर प्रत्येक विवादक पर निर्णय पारित करने के आदेश दिये थे। जबकि विधि में भी आज्ञापक प्रावधान है एवं प्रतिवादी ने किसी तनकी को सिद्ध भी नहीं की थी। अपीलाट को प्रश्नगत भूमि आवंटित होने, तथा हाल खसरा सं0 272 की 4.05 बीघा में परिवर्तित होने एवं इसी भूमि पर अपीलाण्ट वादी का कब्जा सम्बन्धित साक्ष्य पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 6 से सिद्ध होता तथा प्रस्तुत घटना बही से सिद्ध था कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडण्ेट सं0 1 ने दौराने वाद रेस्पोडेण्ट सं0 2 को विक्रय कर दी है। रेस्पो0 सं0 1 का कोई हक नहीं हेाने के कारण रेस्पो0 सं0 2 को भूमि विक्रय स्वतः ही शून्य है। विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1/2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी को वादी ने कभी काश्त नहीं किया तथा ना ही कभी कब्जा प्राप्त किया। प्रतिवादी के नाम इंतकाल नं. 75 दिनांक 22.06.78 को तस्दीक हो गया है तथा अब उसके नाम से गैर खातेदारी दर्ज है। वादी को कोई कॉज आफ एक्शन अराईज नहीं होता है। वाद वादी अदालत क्षेत्राधिकार का नहीं है तथा अन्दर मियाद भी नही है। वादी किसी श्रेणी का टिनेन्ट नहीं है। वादी को कोई लोकस स्टेंडाई हासिल नहीं है। वादी पर एस्टोपल आरिज है। यह के वादी पर रेस ज्यूटिकेटा आरिज है। यह प्रतिवादी को साबिका ख. नं. 118 से 25 बीघा भूमि आवंटन सन् 1966 में आवंटन हुई थी तथा उसी वक्त प्रतिववादी ने उक्त भूमि का कब्जा ले लिया था उसके बाद लगातार उक्त भूमि प्रतिवादी के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं उसके बाद भूमि खसरा में परिवर्तित हो चुकी है जिसके हाल ख0 नं0 272 की 14 बीघा भूमि बनी है जो प्रतिवादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वही रकम राज दाखिल करता है तथा वह ही उसका गैरखातेदार काश्तकार है। आराजी जरई पैमाईश हाल में भगवानाराम के नाम गलत दर्ज कर दी थी जिसका फैसला श्रीमान कलक्टर साहब श्रीगंगानगर ने प्रतिवादी मोमनराम के पक्ष में कर दिया था तथा इसके बाद उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी के नाम इनतकाल दर्ज की गई थी। वादी आज तक आवंटित भूमि का कब्जा नहीं लिया है तथा ना ही उसे ज्ञान है कि उसकी भूमि कहां स्थित है, इसलिए पहले उसके दूसरे आदमी के खिलाफ दावा पेश किया किया था परन्तु बाद में संशोधित वाद पेशकर प्रतिवादी के खिलाफ झूठा दावा पेश किया है जबकि उनके दावा में भूमि के कोई आसे पासे अंकित नही किये हैं। अपीलाण्ट ने कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि पर अपने कब्जा काश्त के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में महावीर प्रसाद के बयान हुए हैं मगर महावीर प्रसाद ने अपने बयानों में यह बताया कि 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर कब्जा वादी हेतराम का है। वादग्रस्त भूमि के ख. नं. ध्यान नहीं है। वादग्रस्त भूमि में उत्तर में मोमन का खेत है, पूर्व में हेतराम का खेत है, इससे यह जाहिर होता है कि महावीर प्रसाद को वादग्रस्त भूमि के ख. नं. ही ध्यान नहीं हे तो उक्त बयान के आधार पर कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। इसी आशय का बयान हरिसिंह ने दिया है। वादी हेतराम की जमीन वहां पर और भी है इससे उक्त बयानों से यह साबित नही होता है कि वादग्रस्त ख. नं. 272 की 4.05 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त हे। तनकीवार निर्णय में पूर्व में निर्णय हो चुका है। निर्णयों के बाद कोई नये दस्तावेज व ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इसलिए तनकीवार दुबारा निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेज नकल निर्णय दिनांक 01.09.80 न्यायालय सब डिविजन मजिस्ट्रेट नोहर से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त खसरा नं. 272 की 14 बीघा भूमि प्रतिवादी मोमन के कब्जा काश्त में गैर खातेदारी भूमि थी। निर्णय दिनांक 28.04.1978 न्यायाधीश श्री गंगानगर से भी यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में भगवानाराम के नाम दर्ज गैर खातेदारी थी जो मोमनराम की आवंटित होना मानते हुए मोमनराम प्रतिवादी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त निर्णय में भी कब्जा प्रतिवादी मोमनराम का होना प्रमाणित होता है। साबिका ख. नं. 118 मिन सैकडों बीघों का बहुत बड़ा खसरा था जिसके हाल विभिन्न खसरा नम्बर परिवर्तित हुए हैं, जिससे भी यह साबित नहीं होता कि उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी मोमनराम के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि ही वादी की हो। वादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि साबिका ख. नं. 118 के नये खसरे कौन कौन से बने तथा किन किन के नाम भूमि वर्तमान में रिकार्ड में दर्ज हुई है। अपीलाण्ट/वादी ने वाद क्लीन हैण्ड पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2011 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवा.या जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.X.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/X/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर0ए0एस0

अपील संख्या 259 / 2011
आरसीएमएस नं. 2011 / 327

हेतराम पुत्र श्री कानाराम जाति जाट साकिन मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
--अपीलांट

बनाम

1. मोमनराम पुत्र नानकराम जाति रेगर साकिन मालिया तह0 नोहर –फौत
   1/1 मानिया पत्नी
   1/2 हंसराज पुत्र
   1/3 शांति पुत्री
   1/4 लिलो पुत्री
   1/5 कमला पुत्री
   } मोमनराम जाति रेगर साकिन मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शान्ति देवी पत्नी सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
-- रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश दिनांक 25.10.2011
द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्र0 सं0 277 / 2008 अनवान हेतराम बनाम भगवानाराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अभिभाषक अपीलार्थी, श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1/2 की ओर से बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2011 यथावत रखे जाते हैं।
डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20.X.22 को जारी की गई।

20/X/22

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील